सं. S-11011/2/2020-SBM-DDWS

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 23.11.2020

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II के दिशानिर्देश -- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) के निर्माण संबंधी प्रावधानों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

मुझे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) के निर्माण के संबंध में दिशानिर्देशों के निम्नलिखित पैरा/अनुबंधों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

पैरा सं./अनुबंध	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
पैरा 4.1	(क) **खुले में शौचमुक्त स्थायित्व-** गांव में प्रत्येक परिवार और प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्रों को शौचालय उपलब्ध हो और गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो। विनिर्दिष्ट थीम्स पर (आगे दी गई जांच सूची में उल्लेखित) कम से कम पांच सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संदेशों को गांव में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यदि गांव में 100 से अधिक घर हो, तो वहां एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) होना चाहिए।	(क) **खुले में शौचमुक्त स्थायित्व -** गांव में प्रत्येक परिवार और प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्रों को शौचालय उपलब्ध हो और गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो। विनिर्दिष्ट थीम्स पर (आगे दी गई जांच सूची में उल्लेखित) कम से कम पांच सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संदेशों को गांव में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
पैरा 4.1 के नीचे दी गई एक गांव को ODF प्लस घोषित करने के लिए जांच सूची	(ii)100 से अधिक घरों वाले गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो।	जांच सूची के बिंदु संख्या (ii) का **लोप** कर दिया गया है
पैरा 5.3	100 से अधिक घरों वाले ODF प्लस गांवों में कम से कम एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए जिससे अस्थायी/ प्रवासी आबादी की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण करेगी जो सबके लिए सुगम्य हो,	यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच मुक्त की स्थिति निरंतर बनी रहे और कोई वंचित न रहे, अस्थायी/ प्रवासी आबादी और ऐसे परिवारों जिनके पास जगह की कमी के कारण व्यक्तिगत शौचालय नहीं है, की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या ऐसे जगहों पर जहां आम तौर पर अधिक लोग इकठ्ठा होते हैं आदि,

क्रमशः

	पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो और जहां लम्बी अवधि तक प्रचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब और/ या प्रवासी मजदूरों/ अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधा होनी चाहिए....... .... सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए वित्तीय सहायता, कार्यक्रम वित्तपोषण खंड में दिए गए .... वैयक्तिक घरेलू शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए तकनीकी विवरण......	ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण करना चाहिए। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण करेगी जो सबके लिए सुगम्य हो, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो और जहां लम्बी अवधि तक प्रचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब और/ या प्रवासी मजदूरों/ अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधा होनी चाहिए....... .... सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए वित्तीय सहायता, कार्यक्रम वित्तपोषण खंड में दिए गए .... वैयक्तिक घरेलू शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए तकनीकी विवरण....... ....
अनुलग्नक - XII(ख) ODF प्लस सत्यापन का प्रारूप	2. यदि गांव में 100 से अधिक परिवार है तो वहां कम से कम एक कार्यशील सामुदायिक स्वच्छता परिसर मौजूद है जिसमें पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं।	ODF प्लस सत्यापन प्रारूप के बिंदु संख्या 2 का **लोप** कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि इस बारे में अपने राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में उचित कार्रवाई हेतु सभी संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सियों को अवगत कराएँ।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

रामपाल 23/11/2020

(रामपाल सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन - 011-2436 9654
ईमेल : rampal.singh67@nic.in

प्रति: मिशन निदेशक/राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश